प्रेस नोट

दिनांक- 19.11.2022

थाना सिकन्दरा पुलिस ने गोली मारकर लूट की फर्जी सूचना देने वाले 01 नफर अभियुक्त को अवैध शस्त्र व बोलेरो कार सहित गिरफ्तार किया !

पुलिस अधीक्षक महोदया कानपुर देहात द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण व वांछित/इनामियाँ अपराधियो की गिरफ्तारी के अभियान व अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गोली मारकर लूट करने की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त मो0 आसिफ पुत्र तारिफ निवासी ग्राम पीतमपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 16.11.2022 को मो0 आसिफ अपने 02 साथियों के साथ थाना सिकन्दरा आकर सूचना दी कि उसके साथ कार सवार 4 लोगों ने गोली मारकर लूट की घटना की है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुये गहनता से जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि मो0 आसिफ द्वारा स्वयं को अवैध शस्त्र से गोली मारकर फर्जी लूट की सूचना दी है। जांचोपरान्त दिनांक 16.11.2022 को ही वादी व0उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात की तहरीर के आधार पर षडयंत्र कर मिथ्या साक्ष्य गढ़ने व लूट की अफवाह फैलाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 251/2022 धारा 505(2)/211/120-B भा0द0वि0 व धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 1. मो0 ओवेश पुत्र कलाम 2. मो0 कलाम पुत्र अब्दुल हमीद 3. मो0 आसिफ पुत्र तारिफ पंजीकृत किया गया था। नामजद मुख्य अभियुक्त मो0 आसिफ को आज दिनांक 19.11.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना में संलिप्त बोलेरो कार नं0 UP79 K 3549 को भी पुलिस कब्जे में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूंछताछ का विवरण- अभियुक्त मो0 आसिफ द्वारा पूंछने पर बताया गया कि वह ईंट भट्ठा चलाता है व अपने काम में बहुत नुकसान से परेशान था और मेरे पिता जी ईंट भट्ठे को बेच रहे थे इसी सब के चलते मैने अपनी जांघ में गोली मार ली थी। फायर मारने के बाद मैं चाचा कलाम व मो0 ओवेश को बताया उन लोगों ने मुझे पीतमपुर बुलाया और कहा कि बिना पुलिस के डाक्टरी नहीं हो पायेगी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो जायेगी। किसी अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग करना व पैसे लूटने के बाद मुकदमा लिखा दिया जायेगा। मैने यही कहानी औवेश व कलाम के साथ थाने जाकर बताया तब मेरी डाक्टरी हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मो0 आसिफ पुत्र तारिफ निवासी ग्राम पीतमपुर थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध पिस्टल
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस
3. 01 अदद खोखा कारतूस
4. 01 अदद चली हुई बुलेट
5. घटना में प्रयुक्त बोलेरो कार नं0 UP79 K 3549

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 251/2022 धारा 505(2)/211/120-B भा0द0वि0 व धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिंह थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
2. उ0नि0 मोहित वर्मा थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
3. का0 611 नीरज कुमार थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
4. का0 574 सिद्धार्थ पाण्डेय थाना सिकन्दरा कानपुर देहात

मीडिया सेल

जनपद कानपुर देहात।